30/11/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
पत्रावली में वकील वादी की बहस
सुनी गई, एवं पत्रावली का अवलोकन
किया गया।

अतः उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र के साथ विचाराधीन दावा का
निर्णय होजाने के कारण अब अस्थाई निषेधाज्ञा
के प्रार्थना-पत्र के आगे चलाने का कोई
औचित्य नहीं है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा
अर्पित कर मूलप्रमाण के साथ दाखिल
दफ्तर कीजाती है, पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

शिप्रा जैन
सहायक कलेक्टर
मुख्यालय टोंक